न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 126 / 2014

उनवान

1. हीरा वल्द किशन उर्फ किशना जाट निवासी मोखमपुरा (देवा का खेडा) तहसील व जिला भीलवाडा
2. देबी वल्द किशन उर्फ किशना जाट निवासी मोखमपुरा (देवा का खेडा) तहसील व जिला भीलवाडा
3. बरदा वल्द किशन उर्फ किशना जाट निवासी मोखमपुरा (देवा का खेडा) तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 36 / 2006 निर्णय दिनांक 18.7.2000

अधिवक्तागण :–

1. श्री रणवीर सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी रतना पुत्र मोती चमार ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलिया खुर्द तहसील भीलवाडा में वादीगण के नाम साबिक आराजी नम्बर 437 रकबा 20 बीघा दर्ज रेकार्ड थी । जिस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर वादीगण काबिजकाश्त थे। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान इस आराजी के नये नम्बर 1339 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा दर्ज किये गये। जबकि जरीब के अन्तर के कारण 3 बिस्वा प्रति बीघा कम करते हुए नया रकबा 17 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करना चाहिये था इस प्रकार 2 बीघा 13 बिस्वा कमी रकबा वादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात रकबा 17 बीघा पर वादीगण काबिजकाश्त है। जिसके प्रकरण संख्या 196/90 पंजिबद्ध किया गया एवं 13.1.98 को वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की जिसके अपील नम्बर 9/98 दर्ज हुई तथा इस अपील को राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ पुनः मामले में सुनवाई हेतु भेजा कि वादग्रस्त भूमि जिसके साबिक नम्बर 437 रकबा 20 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1339 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा दर्ज है तथा पुराने रकबे के मुकाबले रकबा 17 बीघा दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते में कम दर्ज की गई है अतः तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जाकर यदि वादीगण का वाद डिक्री किया जाये। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 18.7.2000 को पुनः निर्णय पारित करते हुए वादीगण को 14 बीघा 07 बिस्वा के बजाय 17 बीघा का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये। जिस पर डिक्री की पालन हेतु ईजराय पेश की जिसके नम्बर 29/02 दर्ज किये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.3.2003 को बिना किसी आधार के प्रार्थीगण को दी गई तारीख से पहले ही प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मण्डल अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की जो स्वीकार होकर पुन इस आदेश के साथ अधिनस्थ न्यायालय में भेजा की प्रकरण में सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण करे।

2. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया जाकर मामले में पुनः सुनवाई कर वादग्रस्त भूमि का कमी रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके आराजी नम्बर 1338 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा जो कि जवाना, गोपी, सोहन आत्मज कजोड के नाम पर जर्द है उनको पक्षकार नहीं बनाया है तथा यह भी लिखा कि जब तक वादीगण प्रार्थीगण न्यायालय सहायक कलक्टक्र, भीलवाडा के निर्णय दिनांक के अनुसरण में वादीगण यह साबित नहीं कर पाये हैं कि 2 बीघा 13 बिस्वा को किस खसरा नम्बर में मिलाया गया है । निर्णय दिनांक 18.7.2000 के निर्णय की अपील में सभी पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार शामिल करते हुए नियमानुसार कार्यवाही नहीं करे तब तक कोई मदद न्यायालय प्रार्थना पत्र में वादीगण को नहीं दी जा सकती है। लिहाजा वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण काश्तकार होकर अनपढआदमी है जिससे समय समय पर वकीलों के भरोसे रहने से सही कार्यवाही नहीं हो पाई है और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड को भलीभॉति देख उक्त रकबे की दुरूस्ती जमाबंदी में करनी थी जो न कर मनमकसूद तौर से तथाकथित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश पारित कर दिया वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इजराय के तरीके पर कोई तवज्जों नही दी है और न ही तथ्यात्मक दृष्टि से मामले को देखा है जबकि पूर्व रेकार्ड के अनुसार मामले को देखकर पेण्टोग्राफी का सहारा लेकर भू प्रबन्ध विभाग से रिपोर्ट तलब करा मौका व कब्जे के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो न कर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर खाना पूर्ति की गई है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है तथा धारा 136 जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो बन्दोबस्ती भूल व अशुद्धियों को सुधारने संबंधी प्रक्रिया है । उसकी पालना कर अपीलाण्ट को राहत दिलाई जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त से भी लाजमी था जो न अपनाकर कयासी तौर पर तथ्य व विधि की अनदेखी कर पूर्व रेकार्ड के अनुसार रकबा जमाबंदी में न बढाकर तथ्य व विधि के विधि के विपरीत जो तथाकथित आदेश दिया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध से पूर्व की स्थिति में ही अब तक काबिज चला आ रहा है व काश्त करता चला आ रहा है । मुतजा आराजी के पडौस मुकाम से भिन्न नहीं है। जिससे भी तथाकथित आदेश में दुरूस्ती किये जाने में कोई अडचन नहीं थी लेकिन राजनैतिक द्वेषतावश व प्रभाव में आकर मातहत अदालत ने सही प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर केवल कयासी आधार पर यह लिखकर कि उक्त डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं है जबकि इसका कोई कारण विधिवत तरीके से नहीं बताया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त आराजी ग्राम मोखमपुरा (देवा का खेड) तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है । अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की नोईत समझने में भूल की है तथा कथित वाद में अपीलार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा है कि उनका पुराने व नये नाप के मुकाबले राजस्व माली कागजात में गणना संबंधी भुल कर रकबा बटारी जमाबंदी में कम दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर पूर्व डोल थोर के हिसाब से काबिज चले आ रहे हैं। इस अहमद तथ्य को समझे बिना आलोच्य आदेश पारित कर नया वाद बनाने का जो तथाकथित आदेश दे पक्षकार बढाकर दावा पेश करने का जो आदेश दिया वह हर दृष्टि से विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अदालत को डिक्री की इजराय के तरीके पर विचार विमर्श कर पालन करने व रेकार्ड दुरूस्त करना था जो न कर नया वाद हेतु वाद बनाने का आदेश दिया जो कानून व तथ्यों व प्राकृतिक न्याय के विलम्ब को करने व न्याय से महरूम करने का गर्ज से राजनैतिक दबाववश दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मातहत न्यायालय को मौका मुआयना कर मौके पर ही सुनकर उक्त प्रकरण को निस्तारित करना चाहिये जो न कर भूल की है। यदि किसी कदर न्यायालय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सुचना देकर सुन कर निर्णय करना चाहता था तो न्यायालय को उन्हें तलब कर उनकी आपत्ति या प्रतिक्रिया अनुरूप आदेश देना था जो न देकर वेग निर्णय दिया था जो हर दृष्टि से गलत होकर रिकोर्ड में जो नक्शा गलत बनाया गया व जमाबंदी में 14 के स्थान पर 17 बीघा अंकित करना चाहिये उसी अनुरूप पालना निश्चित करनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी। जो न कर मनमसूद तौर से आदेश दिया वह काबिल खारिज है तथा नपती व मौका अनुसार पालना कराई जाने के आदेश प्रदान करने थे जो न कर अहम भूल की है ।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त मामला काफी लम्बे समय से चल कर राजस्व मण्डल तक गया हुआ है जिसके प्रकरण संख्या 196/90 था और जिसका निर्णय 18.7.2000 को होकर डिग्री बनी है । इस अहमद तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय ने न देख मनमकसूद तौर से केवल यह लिखकर कि प्रकरण में गोपी, सोहन पिता कजोड जाट को पक्षकार नहीं बनाया गया जो तथ्य हास्यास्पद होकर विचारण योग्य है। यदि मातहत अदालत उन्हें आवश्यक पक्षकार मानती थी तो उस पर विचार डिक्री से पूर्व किये जाने योग्य था। जो न किया जाकर डिक्री के निष्पादन यानिकि तामीली प्रकिया में इजराय के प्रावधानों को न देख कर मनमकसूद तौर से खारिज किया है। जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिवत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण द्वारा जिस अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.2.2007 की अपील प्रस्तुत की है उसके क्रम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अहकाम का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2007 को निर्णय पारित करने के उपरान्त अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे दिनांक 15.5.2007

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने की आदेशिका अंकित की गई है। जिसके उपरान्त दिनांक 26.6.2007 को पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट नही प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण दिनांक 30.6.2007 को नियत किया गया था। दिनाक 30.6.2007 को प्रकरण में रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थीगण/वादीगण के खाते में आराजी नम्बर 1339 रकबा 17 बीघा का इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी पालना तहसीलदार को भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

13. अपीलार्थीगण ने जिस आदेश की अपील की है उसके विरूद्ध दिनांक आदेशिका दिनांक 14.5.2007 में अंकन किया गया कि रिव्यू का प्रार्थना पत्र पूर्णरूपेण स्वीकार किया है अतः आदेश दिनांक 28.2.2007 को अपास्त करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना पत्रावली से प्रकट है, तथा पत्रावली अनुसार पूर्व निर्णय एवं डिक्री में संशोधन भी किया जा चुका है । अपीलाण्ट द्वारा मात्र दिनांक 28.2.2007 तक की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अहकाम दिनांक 14.5.2007 दिनांक 26.6.2007 व 30.6.2007 भी अंकित है। अहकाम दिनांक 30.6.2007 अनुसार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया है कि ''तहसीलदार भीलवाडा के पत्रांक एनटी/07/303 दिनांक 27.6.2007 के अनुसार भिजवाई रिपोर्ट का अवलोकन किया। पर्चा मौका देखा गया । ग्राम बिलिया खुर्द की आराजी नम्बर 1339 पर देबी, हीरा बरदा पिता किसन जाट का कब्जा 17.00 बीघा पर है। मौके की नपती की गई। कब्जा 17.00 बीघा पर है चारों ओर मेड बनी है। यह डिक्रीदार का सिद्ध होता है । रिपोर्ट संग्रह पत्रावली किया जाता है । पूर्व में प्रकरण 196/90 ए सी एम न्यायालय प्रथम भीलवाडा में वादीगण के पक्ष में 17.00 बीघा भूमि की डिक्री पारित की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई। जबकि नपती कराने पर भी 17.00 बीघा है। अतः डिक्रीदार हीरा,देबी,बरदा के नाम राजस्व रिकार्ड में आराजी नम्बर 1339 रकबा 17 बीघा का इन्द्राज किया जाता है। उक्त आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को लिखा जावे। पत्रावली में आदेश सुनाया गया।'' अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त तथ्य अपील मीमों में अंकित नहीं किया गया है तथा पूर्व अहकाम दिनांक 28.2.2007 के विरूद्ध अपील लाये हैं। अतः अपीलार्थीगण की अपील का समर्थन नहीं किया जा सकता है । अपीलाण्ट द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम आदेश/आदेश दिनांक 30.6.2007 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है, वरन पूर्व आदेश दिनांक 28.2.2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश की पूर्व रिव्यू स्वीकार किये जाने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.2007 को प्रकरण को निर्णित किया जा चुका है। जिसका कोई जिक्र अपील मीमों में नहीं है। अपील मीमों विस्तृत नहीं है, तथा अपीलाण्टगण द्वारा स्पष्ट अनुतोष अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2007 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

15. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा